

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या-प्राशिप/सम्बद्धता/2013/5904-6278 लखनऊ-दिनांक-15-05-2013
- कार्यालय द्वारा :-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु डिग्री स्तरीय संस्थाओं की द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनुमोदन के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 9-5-2013 को बैठक संपन्न हुई। बैठक में संलग्न सूची के अनुसार संस्थाओं को सम्बद्धता सत्र 2013-14 तक प्रदान किये जाने का निर्णय निम्न शर्तों के साथ किया गया है :-

"संस्था की संचालक सोसाइटी द्वारा एक राफ्त पत्र प्रस्तुत किया जावेगा कि सम्बद्धता हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उओप्रो लखनऊ के सम्मुख प्रस्तुत सभी तथ्य उनकी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सही है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। एओआईओसीओई की टीम के निरीक्षण के समय भी सभी तथ्यों को टीम के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था तथा तत्समय भी कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, और परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा संस्था का निरीक्षण किए जाने पर किसी भी प्रकार के माफकों में यदि कोई कमी पाई जाती है तो संस्था की सम्बद्धता स्वतः समाप्त नहीं जाएगी, और सोसाइटी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संस्था की संचालक सोसाइटी स्वयं उत्तरदायी होगी।"

संलग्न विवरण के अनुसार संबंधित संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उओप्रो लखनऊ द्वारा सत्र 2013-14 हेतु उपरोक्त शर्तों के साथ-साथ निम्नांकित शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाता है।

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एओआईओसीओई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली-1982 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम सहित) हेतु ₹ 28,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 20,000 शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2013-14 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को [उओप्रो प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उष समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना] विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस संबंध में यदि छात्र/छात्राओं द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

पू0सं0- प्राशिप/2013/ 6279-83

(आर0 के0 वर्मा)
सचिव

तददिनांक- 15-05-2013

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
2. निदेशक, आई0आर0डी0टी0 कानपुर।
3. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य/प्रिंटेपक, डॉ. रम. मोदी इंजी० कॉलेज हाउस रोड,

ओरेव का अस्पताल, मोरेनगर, गाजियाबाद को इस आशय से कि संस्था की सोसाइटी/ट्रस्ट के संचालक/प्रबंधक को उक्त आशय का नोटरी शपथ पत्र परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(आर0 के0 वर्मा)
सचिव

पत्रिका - प्रौद्योगिकी / 2021-22 / 2023 / 5901-6278 दिनांक 15-5-20

	ए0सी0ई0 कालेज आफ इंजी0 एण्ड मैनेजमेंट, 17वां कि.मी., आगरा-कानपुर रोड, ग्राम सुरहेरा, एतमादपुर, आगरा।	सिविल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(आटो)	60 60	03 वर्षीय
14.	सेठ विशम्भरनाथ इंस्टी0 आफ इंजी0 एण्ड टेक्ना., 19वां कि.मी. डेनियल बुड रफेदाबाद, बाराबंकी।	इलेक्ट्रिकल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय
15.	ज्ञान भारती इंस्टी0 आज टेक्नालोजी, ज्ञाननगर, अग्रोजिट अन्ल सुशान सिटी, परतापुर बाईपास राड नरठ	सिविल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय
16.	एन0आइ0ई0 इंजी0 कालेज, कसेरु बक्सर, डीन पार्क, मदाना रोड, मेरठ।	इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय
17.	पयूधर इंस्टी0 आफ इंजी0 एण्ड टेक्ना0, एन0एच0-24 बरेली- लखनऊ रोड, निकट करीदपुर, बरेली।	इलेक्ट्रिकल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय
18.	श्रीगनपति इंस्टी0 आफ टेक्नालोजी, श्री गनपति मालेज पार्क, अग्रोजिट जिन्दल पाइप लिमि0, एन0एच.-24 जिन्दलनगर, गाजियाबाद।	सिविल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय
19.	डॉ0के0एन0मोदी इंजी0 कालेज, हापुड रोड निकट आँख का अस्पताल, मोदीनगर, गाजियाबाद।	सिविल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय
20.	पी0के0 इंस्टी0 आफ टेक्नालोजी एण्ड मैने0, अलीगढ़ रोड, बिरहाना, राया, मथुरा।	सिविल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय
21.	इनफिनिटी इंस्टी0 आफ टेक्नालोजी, गाव टिकरी परगना अरैल, तह0 बारा इलाहाबाद।	इलेक्ट्रिकल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय
22.	मोदीनगर इंस्टी0 आफ टेक्नालोजी, 3 वां कि.मी. निवारी रोड, मोदीनगर, गाजियाबाद।	सिविल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय
23.	शिवदान सिंह इंस्टी0 आफ टेक्नालोजी एण्ड मैनेजमेंट, 10वां कि.मी. अलीगढ़- मथुरा रोड, अलीगढ़।	इलेक्ट्रिकल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय
24.	आई0ए0एम0आर0 कालेज आफ इंजी0, 12वां कि. मी. मेरठ-बागपत रोड, पचिलखुर्द मेरठ।	इलेक्ट्रिकल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय
25.	श्री कृष्णा कालेज आफ इंजी0, सिघावली अहीर, बागपत।	सिविल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(मैटी0)	60 60	03 वर्षीय
26.	मन्दनीनगर टेक्निकल कैंम्पस, नवाबगंज, गोण्डा	सिविल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय
27.	सागर इंस्टी0 आफ टेक्नालोजी एण्ड मैनेजमेंट, 11वां कि.मी. स्टोन फँजाबाद रोड, बाराबंकी	सिविल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0)	60 60	03 वर्षीय

2mm